छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 334 प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-02963**

आवेदक : श्री एफ.आर. शर्मा, पिता–श्री बी.पी. शर्मा, पता–विनोबा नगर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध प्रमोटर–मेसर्स एम.एस. सोनी, आर्किटेक्ट एण्ड बिल्डर्स, द्वारा–डायरेक्टर श्री एम.एस. सोनी, पता–जबड़ापारा, पाठक बगीचा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''गोल्डन हाईट्स बेबीलॉन'', पता–खमतराई, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री शुभम पाण्डेय। – अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। – आवेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31 नियम–35 के अधीन प्रारूप–ड में आवेदन कर अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। – आवेदक द्वारा यह स्वतः स्वीकार किया गया है कि आवेदक द्वारा कुल 7 लाख रूपये अनावेदक को भुगतान किया गया है। आवेदक के आवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा चेक से 3 लाख रूपये वापस किया गया है। चूँकि चेक बाउंस होने के कारण आवेदक को प्राप्त नहीं हो सका, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में दंडित कार्यवाही की गई और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक सुनवाई में गया। चूँकि उक्त राशि के भुगतान हेतु आवेदक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष याचना की गई है। चूँकि सक्षम दंडित न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, अतः प्रकरण में विचारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदन पत्र इस लिबर्टी के साथ निरस्त किया जाता है कि यथा निर्णय दंडित न्यायालय आवेदक द्वारा आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पात्रता रखे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	